

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जून 2015—ज्येष्ठ 13, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2015

क्र. अधि.सू. 135-एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994, के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् सुवासरा, जिला मंदसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	15—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 14—स्वामी विवेकानंद वार्ड 02—कालेश्वर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03—मारूति वार्ड 05—सुभाष वार्ड 09—महावीर वार्ड 13—अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	02—कालेश्वर वार्ड 15—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	02—सुभाष वार्ड 15—महावीर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	01—श्री राम वार्ड 06—रामदेव वार्ड 10—टोडरमल वार्ड 12—भगतसिंह वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.